न्यूज़ टुडे

संसद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विधेयक पारित कर दिए हैं

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 {Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022}	● इस विधेयक के जरिये दिल्ली के तीन नगर निगमों (दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी नगर निगम) को एकीकृत किया गया है। ➢ इस विधेयक के माध्यम से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया है। ➢ इससे पहले **वर्ष 2011** में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन कर दिल्ली नगर निगम (MCD) को **तीन भागों** (दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी नगर निगम) में विभाजित किया गया था। वर्तमान विधेयक के पास होने से यह विभाजन रद्द हो गया है। ● **वर्ष 2022 के संशोधन विधेयक में शामिल प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र:** ➢ **MCD में सीटों की अधिकतम संख्या 250** होगी। ➢ एकीकृत दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक होने तक केंद्र सरकार एक **विशेष अधिकारी की नियुक्ति** करेगी। ➢ **"सरकार" शब्द को "केंद्र सरकार"** से प्रतिस्थापित किया गया है। ➢ नागरिकों के लिए अनिवार्य **ई–गवर्नेंस सिस्टम** का प्रावधान किया गया है। ● अनुच्छेद 239AA के तहत संसद को किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है। इसमें ऐसे विषय भी शामिल हैं जिन पर दिल्ली विधान सभा कानून बना सकती है।
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी (संशोधन) {Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2022}	● इस विधेयक में अग्रलिखित **पेशेवरों के खिलाफ अनुशासनात्मक तंत्र (disciplinary mechanism) को मजबूत करने और मामलों के समयबद्ध निपटान का प्रावधान किया गया है–** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA), कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स (CWA) और कंपनी सेक्रेटरी (CS)। ➢ इस विधेयक के द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एक्ट, 1949; कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट, 1959; और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, 1980 में संशोधन किया गया है। ● **इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र:** ➢ इसमें दो अनुशासनात्मक संस्थाओं की संरचना को बदलने का प्रस्ताव किया गया है। इन संस्थाओं में और **अधिक बाहरी प्रतिनिधियों को शामिल करने** का प्रावधान किया गया है। ➢ एक समन्वय समिति **(Coordination Committee)** गठित की जाएगी। इसके अध्यक्ष कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव होंगे। ➢ विधेयक के द्वारा उपर्युक्त **तीन अधिनियमों के तहत कुछ प्रकार के जुर्माने को बढ़ाया गया** है। ➢ **फर्म्स को अब संस्थानों के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।** ➢ इस विधेयक में ऐसे पेशेवरों और फर्म्स के खिलाफ **लंबित शिकायतों** या कार्रवाई योग्य जानकारी को **सार्वजनिक करने का प्रावधान** किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की पीठ गठित करने पर विचार करने को कहा है

- **सुप्रीम कोर्ट NGT** अधिनियम, 2010 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में NGT एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गयी है। ये हैं–
  - ➢ **NGT** की **विशेष पीठ स्थापित करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित** है, और
  - ➢ **NGT के आदेश के विरुद्ध एकमात्र अपीलीय मंच** सुप्रीम कोर्ट ही है।
- सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि **न्याय तक पहुंच के सिद्धांत** के साथ–साथ **पर्यावरण की रक्षा** के विचार को ध्यान में रखने हुए, केंद्र सरकार **NGT** की और **अधिक क्षेत्रीय पीठें** स्थापित कर सकती है।
  - ➢ वर्तमान में **NGT** की पाँच क्षेत्रों **(five zones)** – उत्तर, मध्य, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम – **में पाँच पीठ** स्थापित की गयी हैं।
  - ➢ **NGT** की प्रमुख पीठ **(Principal Bench)** 'उत्तर क्षेत्र' में स्थित है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है।
- **और अधिक क्षेत्रीय पीठों के लाभ:**
  - ➢ इससे मौजूदा पीठों का कार्यभार कम होगा।
  - ➢ इसके चलते और अधिक संख्या में लोग पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित होंगे।
  - ➢ इससे नागरिकों के लिए पर्यावरणीय न्याय पाना सुलभ होगा।
- **NGT के बारे में:**
  - ➢ **NGT** की स्थापना **"राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010"** के तहत की गई थी।
  - ➢ यह एक **सांविधिक और अर्ध–न्यायिक निकाय** है।
  - ➢ इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों (cases) का प्रभावी और शीघ्र निपटान करना है।
  - ➢ यह **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** (Code of Civil Procedure, 1908) या **भारतीय साक्ष्य अधिनियम,** 1872 (Indian Evidence Act, 1872) के प्रावधानों से **बाध्य नहीं** है।
  - ➢ यह **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** को ध्यान में रखते हुए मामलों का निपटारा करता है।

NGT का अधिकार क्षेत्र: यह पर्यावरण से संबंधित सात कानूनों के तहत दीवानी मामले पर सुनवाई करता है। ये सात कानून निम्नलिखित हैं:

- ➢ जल (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- ➢ जल (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977;
- ➢ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980;
- ➢ वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
- ➢ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;
- ➢ पब्लिक लायबिलिटी बीमा अधिनियम, 1991; और
- ➢ जैव विविधता अधिनियम, 2002

जर्मनी ने रूस के हाइड्रा नामक डार्कनेट मार्केटप्लेस के सर्वर को बंद कर दिया है

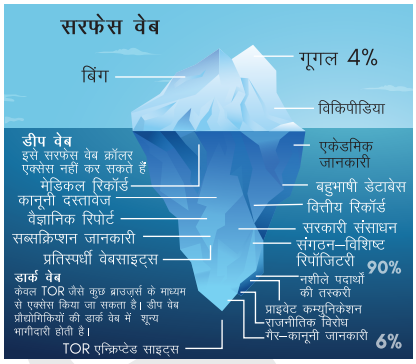

- **जर्मनी ने रूस से जुड़े "हाइड्रा मार्केट" को बंद कर दिया है**। इसे अवैध वस्तुओं और सेवाओं का **दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्कनेट मार्केटप्लेस** माना जाता है।
- **डार्कनेट के बारे में:**
  - इसे डार्क वेब के रूप में भी जाना जाता है। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे गूगल जैसे **पारंपरिक सर्च इंजनों के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता** है। साथ ही, इसे क्रोम या सफारी जैसे सामान्य ब्राउज़र्स के माध्यम से भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
    - इसमें आम तौर पर **नॉन–स्टैण्डर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स** का उपयोग किया जाता है। इसलिए यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स **(ISPs)** या सरकारी अधिकारियों के लिए एक्सेसेबल नहीं होता है।
    - **डार्क नेट पर सभी कंटेंट एन्क्रिप्टेड होता है।** इसलिए इसके वेब पेज को एक्सेस करने के लिए विशेष प्रकार के ब्राउज़र {**जैसे कि द ओनियन रिंग (TOR) ब्राउज़र**} की आवश्यकता होती है।
- **डार्क नेट, डीप वेब का केवल एक हिस्सा है।** डीप वेब एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें पासवर्ड द्वारा सुरक्षित साइट्स होती हैं।
  - जन सामान्य के लिए आसानी से उपलब्ध और मानक सर्च इंजनों द्वारा एक्सेस किए जा सकने वाले इंटरनेट के भाग को "सरफेस वेब" कहते हैं।
- **इसका उपयोग निम्नलिखित लोग करते हैं:**
  - **दमनकारी व्यवस्था में काम करने वाले पत्रकारों और नागरिकों द्वारा,** ताकि वे बिना किसी सरकारी सेंसरशिप के आपस में संवाद कर सकें;
  - **शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा,** ताकि वे संवेदनशील विषयों पर शोध कर सकें;
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा; आदि।
- **डार्क नेट के उपयोग से जुड़ी चिंताएं:**
  - यह गुमनाम अर्थात् अज्ञात बने रहने का विकल्प प्रदान करता है।
  - यह अवैध गतिविधियों के लिए सुरक्षित आश्रय है।
  - इसमें निजता और नैतिकता संबंधी चिंताएं भी शामिल हैं।
  - इसके माध्यम से नशीली दवाओं का कारोबार भी होता है।
  - इसका उपयोग आतंकवादियों द्वारा संचार के माध्यम के रूप में किया जाता है, आदि।

विदेश मंत्रालय ने सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोक सभा में एक विधेयक पेश किया

- इस विधेयक का नाम है– **सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर–कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध) संशोधन विधेयक, 2022** {WMD and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022}। इसके द्वारा **वर्ष 2005 के कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव** रखा गया है।
  - **सामूहिक विनाश के हथियार (Weapons of Mass Destruction: WMD)**: इसका आशय बहुत बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखने वाले नाभिकीय, रेडियोलॉजिकल, रासायनिक, जैविक या अन्य हथियारों से है।
- **इस विधेयक के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - वर्ष 2022 का संशोधन विधेयक निम्नलिखित अधिनियमों या कानूनों के तहत **प्रतिबंधित किसी भी गतिविधि का वित्तपोषण करने से व्यक्तियों को रोकता है:**
    - सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर–कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध) अधिनियम, 2005;
    - संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) कानून, 1947;
    - **सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली से संबंधित** किसी भी अन्य प्रासंगिक कानून; (इसके अलावा, ऐसे किसी भी कानून के तहत जारी आदेश द्वारा प्रतिबंधित हथियारों के वित्तपोषण पर भी रोक है)।

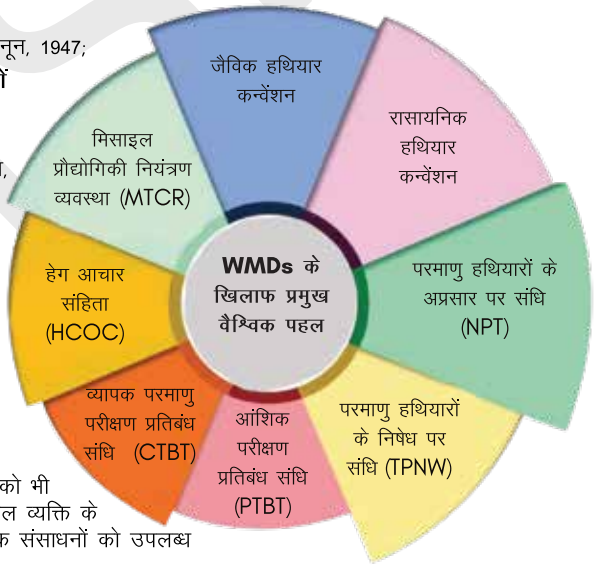

  - यह विधेयक **केंद्र सरकार को** ऐसा करने वाले व्यक्तियों के फंड्स, वित्तीय संपत्तियों, या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, जब्त करने या कुर्क करने का अधिकार देता है।
  - साथ ही, यह विधेयक दूसरे लोगों को भी ऐसी प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल व्यक्ति के लिए फंड, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों को उपलब्ध कराने पर **रोक लगता है।**
- **इस संशोधन विधेयक का महत्व:**
  - यह विधेयक **WMD के प्रसार और उनकी वितरण प्रणाली पर रोक लगाने के लिए भारतीय कानून के दायरे का और विस्तार करता है।**
    - ज्ञातव्य है कि वर्ष 2005 के कानून में ऐसे हथियारों के लिए **फंडिंग या वित्तीय पहलू को शामिल नहीं** किया गया था।
  - यह विधेयक भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को भी पूरा करता है, क्योंकि–
    - संयुक्त राष्ट्र **सुरक्षा परिषद** के लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों (targeted financial sanctions) के तहत; और
    - **फाइनेंसियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) की सिफारिशों में भी, WMD** के प्रसार और उनकी वितरण प्रणाली पर रोक लगाना अनिवार्य किया गया है।

पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल और सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर पर विवाद

- हरियाणा विधान सभा ने **सतलुज यमुना लिंक नहर** को पूरा करने की मांग करते हुए एक संकल्प पारित किया है।
- **सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में:**
  - यह **सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने वाली** एक प्रस्तावित **214 किलोमीटर लंबी नहर है।** इसकी योजना पंजाब से अलग हरियाणा राज्य के गठन के बाद वर्ष 1966 में बनाई गई थी।
  - इसमें **हरियाणा को रावी–ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल** का औसत वार्षिक हिस्सा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।
  - **हरियाणा ने इस नहर के अपने हिस्से का निर्माण वर्ष 1980 में ही पूरा कर लिया था,** जबकि पंजाब अतिरिक्त पानी की अनुपलब्धता के बहाने अपने हिस्से की नहर के निर्माण में देरी करता आया है।
    - सतलुज यमुना लिंक नहर **हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में पानी की कमी को दूर करने में मदद** करेगी।
    - भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण यह चिंता व्यक्त की गयी है कि **पंजाब में वर्ष 2029 तक भूजल के अधिकतर स्रोत सूख जाएंगे** (पंजाब सरकार के एक अध्ययन पर आधारित)
- **अंतरराज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए तंत्र:**
  - **अनुच्छेद 262:** यह **संसद** को अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद समाधान के लिए सक्षम बनाता है।
  - **अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (Inter-State River Water Disputes Act: ISWD), 1956:** इसके तहत किसी अंतरराज्यीय नदी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए ट्रिब्यूनल (अधिकरणों) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
  - वर्ष 1956 के अधिनियम में संशोधन के लिए **अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019** पेश किया गया था।

सतलुज–यमुना लिंक नहर

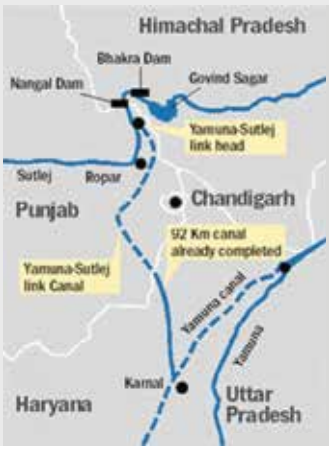

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास (हैबिटैट) में बिजली के तारों पर अपडेट मांगा है

- अप्रैल 2021 में **सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात की बिजली कंपनियों को हाईटेंशन विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने का आदेश दिया था,** ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बिजली के तारों में उलझने से बचाया जा सके।
  - इस कार्य की व्यावहारिकता की जांच के लिए **तीन सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन** किया गया था।
  - अब सुप्रीम कोर्ट ने इस **समिति को अगले तीन सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश** दिया है।
- हालांकि, **केंद्र और राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2021 के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा** था कि इस आदेश को लागू करना व्यावहारिक नहीं है। इनका तर्क था कि इसमें **सुरक्षा संबंधी उच्च खतरे** हैं और इसे लागू करने में **लागत भी अधिक** आएगी।
  - यह भी तर्क दिया गया था कि इस आदेश को लागू करने से भारत में **बिजली क्षेत्र पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव** पड़ सकता है। साथ ही, जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ट्रांजीशन के प्रयास भी प्रभावित होंगे।
    - ज्ञातव्य है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास वाले इलाकों में शामिल अधिकतर क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुछ अन्य खतरों का भी सामना कर रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं:**
  - शिकार,
  - पर्यावास की क्षति,
  - ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स (हरितीकरण परियोजनाएं), जिसके तहत शुष्क घास के मैदानों को वन क्षेत्रों में बदला जा रहा है,
  - शिकारियों द्वारा इनके अण्डों का शिकार, आदि।
- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम:**
  - इस प्रजाति को **स्पीशीज फॉर रिकवरी प्रोग्राम** में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरूआत पर्यावरण और वन मंत्रालय के **इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ वाइल्डलाइफ हैबिटैट** के तहत की गयी है।
  - **इसे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002–2016)** के तहत भी शामिल किया गया है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के बारे में

- **इसके पर्यावास में शामिल हैं–** शुष्क और अर्ध–शुष्क घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियों वाला खुला क्षेत्र, लंबे घासों से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र।
- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स सिंचाई** वाले इलाकों में जाने से बचते हैं।
- **राजस्थान में इस प्रजाति की संख्या सबसे अधिक है।** यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक (endemic) प्रजाति है।
- **IUCN स्थिति:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
- **प्रमुख स्थल:** डेजर्ट नेशनल पार्क (राजस्थान), नलिया (गुजरात), वरोरा (महाराष्ट्र), बेल्लारी (कर्नाटक), आदि।

अन्य सुर्खियाँ

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा–निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 {Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 (IT Rules] 2021)}

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने **IT नियम, 2021** के तहत 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है।
- इन नियमों को **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये नियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को **सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 69A** के तहत सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को बाधित करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं।
- ऐसे निर्देशों को निम्नलिखित प्रमुख आधारों जारी किया जा सकता है:
  - **भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में,**
  - **भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा के हित में,**
  - **विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने या लोक व्यवस्था के हित में, इत्यादि।**
- इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले मध्यवर्तियों (intermediaries) को 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है।

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (Counter–Cyclical Capital Buffer: CCCB)

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने CCCB **को सक्रिय नहीं करने का निर्णय लिया है।**
  - RBI द्वारा वर्ष 2015 में CCCB की रूपरेखा तैयार की गयी थी।
- केंद्रीय बैंक **बेसल–III मानदंडों का पालन करते हुए** देश में बैंकों के लिए कुछ निश्चित पूंजी पर्याप्तता मानदंड (capital adequacy norms) निर्धारित करते हैं। **CCCB ऐसे मानदंडों का एक भाग होता है। इसकी गणना बैंक की जोखिम–भारित ऋण लेखा बही (risk–weighted loan book) के एक निश्चित प्रतिशत** के रूप में की जाती है।
- CCCB **व्यवस्था के दो तरफ़ा उद्देश्य हैं:**
  - यह बैंकों के लिए अच्छे समय **(लाभ की स्थिति के दौरान) में पूंजी का एक बफर बनाना अनिवार्य करता है।** इसका उपयोग बैंक कठिन समय के दौरान वास्तविक क्षेत्रक (real sector) में ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं।
  - यह अत्यधिक ऋण वृद्धि के समय **बैंकिंग क्षेत्र को अंधाधुंध /अविवेकी रूप से उधार देने से रोकता है।** ऐसे ऋण से अक्सर प्रणालीगत जोखिम का निर्माण होता है।

ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल (Broadcast Seva Portal)

- यह अलग–अलग प्रकार के लाइसेंस, अनुमतियों, पंजीकरण आदि के लिए **ब्रॉडकास्टर्स के आवेदनों की त्वरित फाइलिंग और प्रॉसेसिंग** हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन है।
  - इसे **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया है।
- यह एक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल वेब पोर्टल है। यह **ब्रॉडकास्टर्स को एंड–टू–एंड समाधान प्रदान करता है।** साथ ही, यह संबंधित पारितंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है।
- इससे **आवेदनों से संबंधित संपूर्ण कार्यवाहियों को पूरा करने में लगने वाले समय में कमी आएगी।** साथ ही, यह आवेदकों को अपने आवेदनों से संबंधित प्रगति को ट्रैक करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

प्रकृति (Prakriti)

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने **'प्रकृति'** नाम से एक शुभंकर (मैस्कॉट) लॉन्च किया है। इसे बेहतर पर्यावरण के लिए संधारणीय रूप से छोटे बदलावों को अपनाने के संबंध में जन–सामान्य को **जागरूक बनाने के लिए जारी किया गया है।**
- इसके अतिरिक्त, **प्लास्टिक कचरा प्रबंधन** के लिए निम्नलिखित पहल आरंभ की गई हैं:
  - एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड;
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility: EPR) पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह EPR दायित्वों के प्रति जवाबदेही, ट्रेसेबिलिटी, पारदर्शिता में सुधार और रिपोर्टिंग अनुपालन (compliance) को आसान बनाएगा।
  - CPCB ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह नागरिकों को अपने क्षेत्र में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की बिक्री/उपयोग/विनिर्माण पर नजर रखने और प्लास्टिक कचरे से निपटने में सक्षम बनाएगा।
  - CPCB ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक हेतु एक **निगरानी मॉड्यूल** आरंभ किया है।
  - प्लास्टिक कचरे से ग्राफीन का औद्योगिक उत्पादन।

गैनोडेर्मा लुसीडम (Ganoderma lucidum)

- यह खाने योग्य व **औषधीय गुणों वाला एक मशरूम** है। इसे चीन में लिंग्ज़ी (Lingzhi) और जापान में रीशी (Reishi) के नाम से जाना जाता है।
- इसमें पाए जाने वाले **रासायनिक तत्वों में कई औषधीय गुण होते हैं।**
  - ➤ गैनोडर्मा में 400 से अधिक रासायनिक तत्व होते हैं। इनमें **ट्राइटरपेन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, एल्कलॉइड, स्टेरॉयड, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड और फिनॉल** आदि शामिल हैं।
  - ➤ **इसमें इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ-साथ एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-एलर्जिक जैसे कई गुण भी पाए जाते हैं।**
- सामान्य मशरूम के विपरीत, **यह केवल काष्ठ या काष्ठ-आधारित सतह पर ही उगता है।**

सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व

चार्ल्स डार्विन (12 फरवरी 1809 – 19 अप्रैल 1882)

- **ब्रिटिश प्रकृतिवादी और जीवविज्ञानी** चार्ल्स डार्विन को **'फादर ऑफ इवोल्यूशन'** के नाम से जाना जाता है।
- वर्ष 1831 में, उन्होंने HMS **बीगल** नामक एक नाव पर दक्षिण अमेरिका की यात्रा शुरू की। इसके बाद उन्होंने ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली तथा गैलापागोस द्वीप (इक्वाडोर) पर समय व्यतीत किया।
- वर्ष 1859 में, डार्विन की पुस्तक **"ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़"** प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने **प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत** (Theory of Evolution by Natural Selection) प्रस्तुत किया।
  - ➤ **कुछ इसी प्रकार का प्रतीत होने वाला सिद्धांत उसी समय अल्फ्रेड रसेल वालेस द्वारा भी दिया गया था।**
- वर्ष 1871 में, उन्होंने **"द डिसेंट ऑफ मैन"** नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने वानरों को मनुष्य का सामान्य पूर्वज बताया।
- उनके अध्ययन / रिसर्च ने नृविज्ञान, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास आदि सहित कई विषयों के विकास को प्रभावित किया।

सुर्खियों में रहे स्थल

नीदरलैंड (राजधानी: एम्स्टर्डम)

- **राजनीतिक सीमाएँ:** यह उत्तर और पश्चिम में उत्तरी सागर (नदर्न सी) से, पूर्व में जर्मनी से और दक्षिण में बेल्जियम से घिरा हुआ है। यह फ्रांस और ब्रिटेन के साथ समुद्री सीमा साझा करता है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:** नीदरलैंड का आशय निम्न भूमि (low land) से है। यह लगभग समतल और निम्न भूमि वाला देश है। इसलिए यहाँ झीलों, नदियों और नहरों का व्यापक विस्तार पाया जाता है।
  - ➤ नीदरलैंड सरकार ने डाइक, ड्रेनेज कैनाल्स (जल निकासी नहरें) और पंपिंग स्टेशन बनाकर **पोल्डर भूमि के रूप में अपने भू-क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को** समुद्र, झीलों आदि से प्राप्त किया है।
  - ➤ सबसे लंबी नदी: राइन

कुवैत (राजधानी: कुवैत सिटी)

- राजनीतिक संकट गहराते ही **कुवैत के प्रधान मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।**
- **राजनीतिक सीमाएँ:** यह पश्चिम और उत्तर में इराक, पूर्व में फारस की खाड़ी और दक्षिण में सऊदी अरब से घिरा है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:** कुवैत की खाड़ी के पश्चिमी छोर पर अल-जहरा नखलिस्तान (Al-Jahrā oasis) तथा दक्षिण पूर्वी और तटीय क्षेत्रों में कुछ उपजाऊ भाग को छोड़कर बड़े पैमाने पर मरुस्थल मौजूद है।
  - ➤ कुवैत में **कोई स्थायी सतही जल प्रवाह प्रणाली नहीं है।**
- कुवैत के **सकल घरेलू उत्पाद में तेल निष्कर्षण (extraction)** और **प्रसंस्करण (processing)** की हिस्सेदारी लगभग **50%** है।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी